सार्वजनिक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा ने किया त्वरित समाधान

अजमेर , (कासं)। जेएलएन अस्पताल के हृदय रोग विभाग के 500 कीवीए का जनरेटर गुरुवार को खराब हो गया। इससे टाटा पावर की सप्लाई बंद होने पर स्टेण्ड बाई पावर बेक-अप में व्यवधान उत्पन्न हुआ। जनरेटर खराब होने पर आईसीयू, केथ लेब, सीटीवीएस एवं समस्त हृदय रोग विभाग में विद्युत सप्लाई भी बंद हो सकती थी। इससे ऑपरेशन, आईसीयू में भर्ती मरीजों की जान खतरे में आने की आशंका थी। विद्युत जनरेटर में आई खराबी को ठीक करने में लगभग 3 दिवस लगने का अनुमान था। व्यापक जनहित को देखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग की विद्युत शाखा द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। किराया का विद्युत जनरेटर मय आवश्यक सामग्री अधिशाषी अभियंता-विद्युत श्री सुरेश कुमार मेघवंशी के निर्देशन में सहायक अभियंता-विद्युत श्रीमती जीनल चौधरी द्वारा प्रबन्ध किया गया। विद्युत सिस्टम सम्पूर्ण तौर पर किराये के जनरेटर पर लेना बहुत ही पेचीदा तथा मेहनत भरा था। इसके लिए अलग से केबल्स, चेन्ज ओवर टर्मिनेशन करना इत्यादि शामिल था। सभी कार्य श्री प्रवीण सक्सैना कनिष्ठ अभियंता-विद्युत की देखरेख में हुआ।

'शुद्ध के लिए युद्ध' डीडवाना में 1268 लीटर फ्रूट ड्रिंक सीज

डीडवाना, (नि.सं.)। डीडवाना जिला कलक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज कुचामन सिटी में खाद्य सुरक्षा व रसद विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1268 लीटर फ्रूट ड्रिंक को सीज कर दिया। साथ ही गोदाम का लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण गोदाम को भी सील कर दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया की आमजन को शुद्ध एवं गुणवतापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाये जाने के लिए जारी "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जिला रसद अधिकारी उपेंद्र ढाका व खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने कुचामन क्षेत्र के गोपालपुरा में फ्रूट ड्रिंक के एक गोदाम का निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इसके अलावा फ्रूट ड्रिंक मैंगो (इंडो नेचुरल) भी अमानक के संदेह में पाया गया। जिसके बाद फ्रूट ड्रिंक के सैंपल लेकर 1268 लीटर को मौके पर ही सीज कर दिया गया। साथ ही गोदाम का लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण गोदाम को भी सील किया गया। उन्होंने बताया कि फ्रूट ड्रिंक के सैंपल को जांच के प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र चौधरी ने उपभोक्ताओ से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी या विश्वसनीय विक्रेताओ से ही खाद्य सामग्री खरीदे तथा पैक खाद्य सामठी पर पैकेजिंग दिनांक व उपयोग दिनांक देखकर ही खरीदे।

महापौर राकेश पाठक की पहल, सहस्त्र धारा अभिषेक शुरू

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा श्रावण मास प्रारंभ के पावन अवसर पर महापौर राकेश पाठक की पहल पर 70 वार्डो के 70 मंदिरों में 70 सहस्त्रधारा अभिषेक कार्यक्रम के तहत प्रथम दिवस पर प्रात: 7 बजे वार्ड 62 के अंतर्गत आर के कॉलोनी स्थित शिव साईं मंदिर एवं वार्ड 63 के अंतर्गत सुभाष नगर स्थित राम मंदिर में सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। सांसद दामोदर अग्रवाल एवं महापौर राकेश पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सपत्नीक अभिषेक के मुख्य यजमान बने।

इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि श्रावण मास भक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पावन अवसर पर नगर निगम द्वारा 70 वार्डो के 70 मंदिरों में 70 अभिषेक का संकल्प लिया गया है, ईश्वर की कृपा से यह कार्य सकुशल संपन्न होगा और इससे भीलवाड़ा में सुख समृद्धि, धन धान्य व शांति हेतु ईश्वर की कृपा होगी, ऐसी कामना करते हैं।

महापौर राकेश पाठक ने कहा कि भीलवाड़ा शहर की खुशहाली, चहुंमुखी विकास एवं प्रगति की कामना के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों सहित विभिन्न समाजों, वर्गों एवं सामाजिक संगठनों से इस आयोजन में सहभागी बनने का आहवान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने कहा कि सनातन संस्कृति के इस पावन पर्व पर नगर निगम द्वारा आयोजित सहस्त्रधारा अभिषेक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। इस अवसर पर वार्ड 62 के कार्यक्रम संयोजक पार्षद ओम साईं राम, सह संयोजक पुनीत प्रताप सिंह, वार्ड 63 के कार्यक्रम संयोजक योगेश दाधीच, रामबाबू गौड़, भाजपा जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, सुभाष मंडल अध्यक्ष ऋतु शेखर शर्मा, पूर्व उपसभापति मुकेश शर्मा, दीपक पाराशर, गौतम शर्मा, दिनेश विजयवर्गीय, रामप्रसाद शर्मा, राहुल सुवालका, नरेंद्र पाठक, प्रशांत चतुर्वेदी, नरेंद्र तंबोली सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे।

केलू के ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन

मसूदा, (निसं)। देवमाली के राजस्व ग्राम केलू के ग्रामीणों ने समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कमल राम मीना को ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव में स्थित गोचर, सिवायचक तथा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर वहां पर काटों तथा पत्थरों से बाड़ लगा दी है। जिसके चलते गांव के पशुधन को चरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमियों द्वारा लगातार अतिक्रमण करने से चारागाह सिमट रहे है। जिसके कारण पशु पालकों को मजबूर में अपने पशुओं को मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रांतों में ले जाना पड़ रहा है। साथ ही रसूकदार लोगों द्वारा पेड-पौधे उखाडकर खनन कार्य किया जा रहा है।

प्रेम चंद बैरवा ने यक्षणी माता मंदिर में दर्शन किए

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। डिप्टी मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा शुक्रवार को निजी प्रवास पर मांडल पहुंचे, जहां उन्होंने यक्षणी माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और मां यक्षणी के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर समिति ने मंदिर में पूर्व में हुई चोरी का खुलासा नहीं होने की शिकायत डिप्टी सीएम से की।

मंदिर कमेटी के सदस्यों बिहारी लाल सारस्वत, राजू सारस्वत, किसन सोनी, प्रेम चंद सेन सहित अन्य पदाधिकारियों ने उपर्णा पहनाकर डिप्टी सीएम का स्वागत किया। वहीं, कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेता राधे जांगिड़, सुभाष सोनी, भैरूलाल तड़बा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद शेख, दिनेश माली, मनीष सोनी, ओम भांडिया, छीतर काबरा, परमेश्वर लुहार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम बैरवा ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांडल कस्बे में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने व लंबित मामलों के खुलासे को लेकर चर्चा की। इसी दौरान स्थानीय विधायक उदयलाल भड़ाना ने डिप्टी सीएम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व थानाधिकारी राजपाल सिंह और वर्तमान में कार्यरत विक्रम सिंह शेरावत उनकी बात नहीं सुनते हैं और कार्यकर्ताओं को परेशान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि थाने में 20 से अधिक बाइकें जब्त कर रखी गई थीं, जिन्हें छोड़ने से इंकार कर दिया गया था। इसको लेकर वे धरने पर बैठने की तैयारी कर चुके थे। उन्होंने डिप्टी सीएम से थानाधिकारी बदलने की मांग की। इस पर डिप्टी सीएम बैरवा ने भड़ाना से ही सुझाव मांगते हुए कहा कि आप बताइए किसे थानाधिकारी लगाया जाए।

मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर की गई टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गहलोत को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संगठनों की स्पष्ट व्यवस्था है। गहलोत की सोच बचकानी और प्रदेश के विकास में बाधक है। उन्हें विकास कार्यों में सहयोगी नीति अपनानी चाहिए।

डिप्टी सीएम बैरवा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट - सिंधी कैंप बस स्टैंड को लेकर कहा कि इसे विश्वस्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका कार्य जल्द ही शुरू होगा और क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त, मीरा सर्कल के पास भी एक नया बस स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है, जिससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और सुदृढ होगी।

सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) संवीक्षा परीक्षा-2021 के अंतर्गत कार्डियोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) के 19 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए संवीक्षा परीक्षा का आयोजन 6 मई 2022 को किया गया था। परीक्षा अंतर्गत पात्रता जांच के लिए विचारित सूची 2 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। विचारित सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच उपरांत साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है।

दो दिन बाद ऐलिवेटेड रोड खुला

अजमेर, (कासं)। शहर के यातायात को दुरुस्त करने के लिए बनाए गए एलिवेटेड (रामसेतु) ब्रिज की एक भुजा की एक सड़क धंस गई, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचने पर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा दिन के लिए बंद किए गए ऐलिवेटड रोड (रामसेतु ब्रिज) को कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को आमजन के आवागमन के लिए खोल दिया है।

आर एस आर डी सी अजमेर की निदेशक चारू मित्तल ने न्यायालय में एक शपथ पत्र पेश कर कोर्ट को बताया कि तीन जुलाई को सोनी जी की नसियां वाली भुजा सड़क धंस गई थी, जिसे सुधार दिया गया और शेष भुजाए आमजन के आवागमन के लिए सुरक्षित है, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासन को चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश देते हुए आमजन के लिए ब्रिज को खोलने के आदेश प्रदान किए है।

गौरतलब है कि जनहित याचिका पर सिविल न्यायाधीश (पश्चिम) मनमोहन चंदेल ने आमजन की सुरक्षा को देखते हुए रामसेतु को सील करने का अन्तरिम आदेश दिए। इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ लोकबंधु ने अगली सुनवाई तक आवागमन बंद करने के आदेश दिए थे।

विश्व जनसंख्या दिवस पर अजमेर जिले को सम्मान

अजमेर, (कासं)। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या स्थायित्व एवं मातृ शिशु देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर शुक्रवार को अजमेर जिले का सम्मान राज्य स्तर पर किया गया। यह सम्मान जिला कलैक्टर लोक बन्धु द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ प्राप्त किया गया।

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस 2025 के अवसर पर जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं जन-जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अजमेर जिले को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं जयपुर द्वारा शुक्रवार को जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया।

उन्होंने बताया कि अजमेर जिले को यह पुरस्कार जिले में चलाए गए प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों, जनहितकारी नवाचारों तथा स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए मिला है। जिले में आशा, एएनएम, चिकित्सा अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के समन्वय से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की दिशा में सराहनीय प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जिले में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 सप्ताह पूर्व गर्भवती महिलाओं का पंजीयन करने, गर्भवती महिलाओं की 4 प्रसवपूर्व जांच, संस्थागत प्रसव तथा प्रसव पश्चात देखभाल के कार्यों की मॉनिटरिंग की गई। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का जन्म के समय वजन, जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान कराने, जन्म के समय विटामिन-के की खुराक देने, न्यूनतम 5 पीएनसी-एचबीएनसी, आईएफए सिरप की 8-10 खुराकें प्रदान करने को प्राथमिकता से किया गया। एक वर्ष तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया।

जिला कलक्टर श्री लोक बंधु ने इस उपलब्धि को जिलेवासियों, चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों और सभी सहयोगी संस्थाओं की टीम भावना एवं समर्पण का परिणाम बताया। कलक्टर लोक बन्धु, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्स्ना रंगा एवं अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामलाल चौधरी ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

LSG/BEAWAR/MUT/2025/137728
DATE :-30.06.2025 रजि हक-परित्याग

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/5125 दिनांक-11.07.25

सार्वजनिक सूचना

श्री सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री मोहनलाल कुमावत निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 7 डिग्गी मौहल्ला गली नं. 04 मकान नं. 35 क्षेत्रफल 84.72 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री दीपचन्द पुत्र श्री चतरभुंज कुमावत के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि. हक-परित्याग दिनांक 20.04.2018 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/137601
DATE :-28.06.2025 रजि बख्शीश-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/5126 दिनांक-11.07.25

सार्वजनिक सूचना

श्री प्रमोद जैन पुत्र स्व. श्री घिरंजीलाल जी, श्रीमती अनीता जैन पत्नी श्री स्व. श्री प्रकाशचंद जैन निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6 महावीर कॉलोनी गोविन्दपुरा खसरा नं. 284 से 291 व 381 से 383 प्लाट नं. 46 क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री घिरंजीलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि हक-परित्याग दिनांक 15.11.2021, रजि बख्शीश-नामा दिनांक 18.06.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAWAR/MUT/2025/137603
DATE :-28.06.2025 रजि बख्शीश-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/5127 दिनांक-11.07.25

सार्वजनिक सूचना

श्री प्रमोद जैन पुत्र स्व. श्री घिरंजीलाल जी, श्रीमती अनीता जैन पत्नी श्री स्व. श्री प्रकाशचंद जैन निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6 सूर्य नगरी कॉलोनी गोविन्दपुरा खसरा नं. 379 प्लाट नं. 04 क्षेत्रफल 227.63 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमती किरणलता जैन पत्नी श्री घिरंजीलाल के नाम दर्ज है। तत्पश्चात बख्शीश-नामा दिनांक 18.06.2025, व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। -आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

आम सूचना

मेरे पिताजी जी बींजा पुत्र हरकरण खाती निवासी गांव त्योद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर की मृत्यु दिनांक 4 जुलाई 1980 एवं मेरी माताजी फूला देवी पत्नी बींजा खाती निवासी गांव त्योद की मृत्यु दिनांक 13 जून 1991 को एवं मेरे भाई श्रीकिशन पुत्र बींजा की मृत्यु 22 अप्रैल 1984 को निवास स्थान त्योद पर हो गई, इनका पूर्व में पंचायत त्योद में इंद्राज नहीं हुआ है। तीनो का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष आवेदक किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति संस्था को आपत्ति हो तो मय सबूत 7 दिवस में तहसील कार्यालय रूपनगढ़ में दर्ज कराये, बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। प्रार्थी- गंगाराम पुत्र बींजा खाती गांव त्योद

आम सूचना

मेरी मां श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व. श्री हुकूमतराय तलरेजा जाति सिन्धी निवासी कंवर कुंज, जैन कॉलोनी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर का स्वर्गवास दिनांक 11 मई 2005 को मेरे निवास स्थान पर हो गया, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में आवेदन किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज 7 दिवस में तहसीलदार कार्यालय किशनगढ़ में संपर्क करे। प्रार्थी- महेश तलरेजा पुत्र हुकूमतराय तलरेजा

LSG/BEAWAR/MUT/2025/139140
DATE :-10.07.2025 बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/5091 दिनांक-10.07.25

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती सीमा शर्मा उर्फ निलम शर्मा पत्नि श्री चतुंभुज उर्फ डालचंद शर्मा, निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. मोहल्ला महावीर गली नं. 03 म्यू नं. 8/344 नया नं. 12/1 क्षेत्रफल 211.64 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री स्व. श्री प्रदीप कुमार सोमानी व स्व. श्री विष्णुनारायण पुत्र श्री बद्रीनारायण जी सोमानी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात बेचान नामा दिनांक 05.09.2024 व 16.01.2015 स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नामान्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

-आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ/भवन/25-26/161 **आपत्ति सूचना** दिनांक: 09.07.2025

श्री हनुमान प्रसाद गहलोत पुत्र स्व. श्री प्रभु लाल गहलोत निवासी 471/41 शृंगार चंदरी जय गुरूदेव की गली भजनगंज अजमेर एवं श्री ओमप्रकाश सैन पुत्र श्री किस्तूरचन्द सैन श्री करमचन्द सैन पुत्र श्री किस्तूरचन्द सैन निवासीगण बख्शी जी की कोठी अजमेर द्वारा एक भूखण्ड ए.एम.सी. नं. 167/16 पुराना 293/8 नया में स्थित है जो वार्ड थी मण्डी मदार गेट अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 96.22 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है।

पूर्व- जायदाद ए.एम.सी. नं. 16/168 श्री खुशाल सिन्धी की — पश्चिम- रास्ता आम घी मण्डी का

उत्तर- शामलाती दीवार व जायदाद श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भागचन्द की — दक्षिण- गली आगम उसके बाद जायदाद ए. एम.सी. नं. 16/170

अत जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में लेस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कार सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्यागपत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या ए-652 क्षेत्रफल 136.11 वर्गगज के नामांतरित 1.सुश्री डॉ. अमृत कौर (अविवाहित)पुत्री श्री अजित सिंह 2. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 19.09.2005 2. 03.03.2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश: 1.श्रीमति किरण सिंह पत्नि स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह 2.श्रीमति भारती सिंह पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह व पत्नी श्री मनीष वर्मा 3.इन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह व पत्नी श्री मुकेश कुमार 4. श्रीमती लीना सिंह पुत्री स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह व पत्नी श्री रवि कुमार टंडन निवासी अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री आकाश सिंह पुत्र सव. श्री इन्द्रजीत सिंह निवासी अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.06.2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई स्वीकार आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तण की कार्यवाही की जा सकेगी। -योजना प्रभारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0

टैलीफोन नम्बर- 01462-230051 गांधी उद्यान-ब्यावर रोड़, बिजयनगर ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक- न.पा.बि./भूमि/2025/1792 **आम सूचना** दिनांक:10.07.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने कृषि भूमि पर बसी निम्न कॉलोनियों में कृषि भूमि नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगें।

अत: इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो/प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवें। समयावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	पत्रावली न.	आवेदक का नाम	योजना/ग्राम का नाम	खसरा नं	भू.सं.	क्षेत्र
1.	09	सुशीला देवी / शान्तीलाल	चांदमल बिनायकिया नगर बरल द्वितीय	822 से 830	108	150.00 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर

प्ररूप-10- नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद केकड़ी (अजमेर) - राजस्थान

क्रमांक नपके / कृ.भू.रू./2025-26/1357 -लोक सूचना- दिनांक-11/7/2025

मामला सं.-

श्री जगदीश बलाई पुत्र रामदेव बलाई, जाति बलाई निवासी केकड़ी तह. केकड़ी जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषि (अकृषि) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
अजमेर - सरवाड़	डोराई	खसरा नं. 373	रकबा 2.4900 हैक्टयर मे से 1.8500 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11/7/2025 को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

प्ररूप-10- नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद केकड़ी (अजमेर) - राजस्थान

क्रमांक नपके / कृ.भू.रू./2025-26/1359 -लोक सूचना- दिनांक-11/7/2025

मामला सं.-

श्री दिनेश कुमार धोबी पुत्र श्री भैरूलाल धोबी जाति धोबी, श्री मुकेश कुमार नायक पुत्र श्री मोहन लाल नायक, श्री सत्यनारायण नायक पुत्र श्री मोहन लाल नायक जाति नायक निवासी केकड़ी तह. केकड़ी जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषि (अकृषि) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
अजमेर - सरवाड़	अजगरी	खसरा नं. 627	रकबा 2.5000 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11/7/2025 को जारी की गयी। -प्राधिकारी अधिकारी का नाम और मुहर

प्ररूप-10- नियम 6 (7) देखिए

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगर परिषद केकड़ी (अजमेर) - राजस्थान

क्रमांक नपके / कृ.भू.रू./2025-26/1358 -लोक सूचना- दिनांक-11/7/2025

मामला सं.-

श्री राजू रेगर पुत्र श्री माधू रेगर जाति रेगर, निवासी केकड़ी तह. केकड़ी जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषि (अकृषि) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
अजमेर - सरवाड़	सापुन्दा	खसरा नं. 1135	रकबा 0.8100 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा कि